



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 162851

21

अनापत्ति प्रमाण पत्र भी यदि आवश्यकता पड़े तो बैंक व सक्षम अधिकारी के यहां प्रस्तुत करेंगे परन्तु जो भी ऋण द्वितीय पक्ष बैंक या वित्तीय संस्था से प्राप्त करेंगे उसे अदा करने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

13. यह कि विकासकर्ता निर्माण कार्य हेतु शिल्पकार, इंजीनियर, ठीकेदार श्रमिक को स्वयं नियुक्त करेगा और निर्माण कार्य के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा, उसे उठायेगा तथा सभी भुगतान के लिए विकासकर्ता ही जिम्मेदार होगा इस सम्बन्ध में भू-स्वामी की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी।

Arjun Kumar Singh
 जितेंद्र कुमार
 B.K. Patel
 राहुल यादव
 Arjun Kumar Singh
 राहुल यादव
 Arjun Kumar Singh
 राहुल यादव